

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>जो कि संलग्न पत्रावली ई में भी यही वर्णन है कि कड़ी आज के दिन खातेदार नहीं है। एसी स्थिति में locus के अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है अतः वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर दर्ज किए गए हैं कम हो।</p> <p><i>(Signature)</i> सहायक कमिश्नर जयपुर नगर क्षेत्रीय</p>